भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2141

31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डॉक्टरों की कमी

†2141. डॉ. राज कुमार चब्बेवाल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है जहां रिपोर्टनुसार प्रति 10,000 लोगों पर केवल 7 डॉक्टर हैं, जो दुनिया में सबसे कम में से एक है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार देश में अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो विशेषकर पंजाब राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ङ): भारतीय मेडिकल रजिस्टर के अनुसार देश में वर्तमान में 15,35,155 पंजीकृत एलोपैथिक चिकित्सक तथा आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक तथा आयुष दोनों पद्धतियों के 80% पंजीकृत चिकित्सक सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं, देश में अनुमानित चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात 1:778 है।

देश के अल्पसेवित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

- मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत, देश भर में 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 139 कार्यशील हैं। इस योजना के तहत, पंजाब में एसएएस नगर (मोहाली), कपूरथला और होशियारपुर में 03 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है।

इसके अतिरिक्त, देश में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार/केंद्रीय सरकार के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन योजना के तहत, भारत सरकार ने राज्य के 02 मेडिकल कॉलेजों में 100 एमबीबीएस सीटों के संवर्धन के लिए कुल स्वीकृत लागत रु. 120 करोड़ को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार को 72 करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी कर दी गई है।

- ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय गांवों को तथा एमबीबीएस विद्यार्थी उन गांवों के परिवारों को गोद लेते हैं। इससे गोद लिए गए परिवार के सदस्यों का टीकाकरण, वृद्धि निगरानी, मासिक धर्म स्वच्छता, आयरन-फोलिक एसिड अनुपूरण, स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, वाहक नियंत्रण तथा दवा सेवन अनुपालन का नियमित अनुवर्तन किया जाता है। साथ ही, यह उन परिवारों को सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देने में भी मदद करता है।

- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालयों के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है।

- ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सिजेरियन प्रसव सेवाओं के संचालन हेतु विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों/आपातकालीन प्रसूति परिचर्या में प्रशिक्षित चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों तथा एनेस्थेटिस्ट/जीवनरक्षक एनेस्थीसिया कौशल में प्रशिक्षित चिकित्सकों को मानदेय प्रदान किया जाता है।

- विशेषज्ञ चिकित्सकों को ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के लिए और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए दुर्गम क्षेत्र भत्ता प्रदान किया जाता है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, राज्यों को विशेषज्ञ चिकित्सकों को आकर्षित करने के लिए बातचीत कर वेतन प्रदान करने तथा "यू कोट, वी पे " जैसी लचीली कार्यनीतियां अपनाने की अनुमति दी जाती है।
